प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़-21 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ, कि—

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, 61, सोमनगर द्वितीय, मुधवन, सेंथी, चित्तौड़गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए

हैं।

स्थानः– **चित्तौडगढ़** तारीखः– **23 मई 2019** (शिवांगी स्वंशिकास्त पंदार)
रिटर्निंग अधिकारी
(जिला कलक्टर एवं चित्री मुर्जिस्ट्रेट)
21 विस्तार संस्तीय निर्वाचन क्षेत्र
21—चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **State of Rajasthan** from **21-Chittorgrh** Parliamentary Constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951. Read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I delcare that-

CHANDRA PRAKASH JOSHI, 61, SOM NAGAR -IInd, MADHUVAN, SENTHI, CHITTORGARH sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Chittorgarh

Date:- 23rd May, 2019

(SHIVANGI WARNRAR ARMAN)

RETURNING OF FICER Officer

DISTRICT COLLECTOISTIST SPECIFICATION OF THE PROPERTY OF

(DISTRICT COLLECTOR THE BIS STRATE

21-CHITTORGARH PARLIAMENTARY CONSTITUENCY